न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 62/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुखाराम पुत्र गणेश जी		1. देवाराम पुत्र जोगाराम जाति सिरवी निवासी केरला तहसील व जिला पाली
2. बाबुलाल पुत्र गणेश जी		2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली
3. सुजाराम पुत्र वक्ताराम		
4. तीजादेवी पत्नी वक्ताराम		
5. गिरधारीलाल पुत्र वक्ताराम जातिगण सिरवी निवासीगण केरला तहसील पाली		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.9.2018

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 46/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम केरला तहसील पाली के खसरा नम्बर 49/1 की भूमि अपीलाण्ट संख्या 1, खसरा नम्बर 49/2 की भूमि अपीलाण्ट संख्या 2 तथा खसरा नम्बर 49 की भूमि अपीलाण्ट संख्या 3 से 5 की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम केरला के खसरा नम्बर 51/ 1 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आवेदन किया गया, वह प्रथम दृष्टया ही खारिज़ योग्य था, क्योंकि वह निर्धारित प्रारूप में नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जैर अपील विवादित आराजी से कभी आवागमन हुआ ही नहीं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ते का अनुतोष दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 को जो रास्ता दिया गया है, उसमें सड़क एवं अपीलाण्ट की भूमि के मध्य खसरा नम्बर 48 की भूमि है, जो गै0मु0 आबादी है तथा आबादी भूमि में से रास्ता प्रदान करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए खातेदारी भूमि में से रास्ते का प्रावधान करती है, आबादी भूमि में से नहीं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू0अ0नि0 द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें यह जाहिर किया कि खसरा नम्बर 51/1 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 46, 44, 47 व 50 से होकर जाता था, जो उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 41 में मिलता है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 49/2 में पानी का हौद है एवं खसरा नम्बर 47 में अपीलाण्ट का बाड़ा है। भू0अ0नि0 की रिपोर्ट में जो रास्ते बताए है, उनमें सुलभ मार्ग खसरा नम्बर 50 स 43 के पूर्व की तरफ है, इसी प्रकार अन्य वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 50, 44, 46 व 47 से होकर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन मार्गो की तरफ ध्यान ही नहीं दिया एवं राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही, अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्ययालय द्वारा अधिक दूरी एवं अधिक मुआवजा राशि का रास्ता प्रदान किया है, जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अतः अपल स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते का अनुतोष चाहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार अपलाण्ट को नोटिस जारी किया एवं इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया है। जिस टांके का जिक्र अपीलाण्ट ने किया है, उस टांके का इन्द्राज भू0अ0नि0 की रिपोर्ट में दर्शित ही नहीं है। जैर अपील विवादित आराजी में से रास्ता पूर्व से सुचारू था, जिसे अपीलाण्ट द्वारा बन्द कर दिया गया है। जिन वैकल्पिक मार्गों का उल्लेख अपीलाण्ट द्वारा अपील में किया गया है, उनको अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाया ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट तलब की गई, उस पर अपीलाण्ट ने आपत्ति की, जिस पर पुनः रिपोर्ट तलब की गई। इस दौरान अपीलाण्ट ने जानबूझकर टांका बना दिया। अपीलाण्ट की भूमि एवं आबादी भूमि में मध्य ही रास्ते का अभाव था। मुख्य रास्ते एवं आबादी तक आवागमन सुचारू है। जिस रास्ते को अपीलाण्ट सुविधाजनक बताते है, वह अपेक्षाकृत लम्बा रास्ता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि की मंशा अनुसार निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज़ करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम केरला के खसरा नम्बर 51/1 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया, उसमें रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग खसरा नम्बर 45, 47 व 48 के सहारे सहारे होना बताया, जिसे जवाब के संलग्न अनुसूची में भी प्रदर्शित किया। भू0अ0नि0 द्वारा प्रथम रिपोर्ट दिनांक 11.12.2017 को प्रस्तुत की, जिसमें आवेदित रास्ता, जो खसरा नम्बर 49, 49/1 व 49/2 से होकर जाता है, उसे ही विधि सम्मत बताया है। इस पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें अन्य वैकल्पिक मार्गो को भी रेखांकित किया गया। जिसमें खसरा नम्बर 48, 49, 46, 44 व 40 से होकर जाने वाले मार्ग का क्षेत्रफल 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 48, 49/2 व 49/1 में से होकर जाने वाले मार्ग का क्षेत्रफल 1.05 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 43 व 50 से होकर जाने वाले मार्ग का क्षैत्रफल 1.04 बीघा होना बताया। भू0अ0नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट में बिन्दुवार रास्तो का विवेचन किया है। उक्त दोनों ही रिपोर्टों का परस्पर अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु रेकर्डेड रास्ते का अभाव अवश्य है, किन्तु वैकल्पिक मार्गो के रूप में खसरा नम्बर 43 व 50 से होते हुए रास्ता उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 49, 49/1 व 49/2 में से रास्ता दिया गया है, जो किसी भी रूप में रेकर्डेड रास्ते को छुता तक नहीं है। जैर अपील आदेश के जरिये खसरा नम्बर 48, जो कि रेकर्डेड रास्ते एवं प्रकरण में दिये गए रास्ते के मध्य स्थित है, से होकर आवागमन का रास्ता दिया जाता है, जो कि आबादी भूमि है। उक्त आबादी भूमि के सम्बन्ध में जांच अपेक्षित थी, कि उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति का पट्टा आदि तो नहीं है। यदि किसी प्रकार का पट्टा या विधिमान्य दस्तावेज होने की दशा में रास्ता पुनः बाधित होगा एवं विवाद की सम्भावना बढ़ेगी। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया गया है। इसके अतिरिक्त जो रास्ता दिया गया है, वह स्पष्टतया रेकर्डेड रास्ते से जुडता नहीं है, मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु यह रास्ता दिया जाना प्रकट होता है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग भी भू0अ0नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुझाए गए थे, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में रेखांकित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक सिद्धान्त यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग, लघुतम मार्ग एवं वैकल्पिक मार्ग के अभाव का समुचित परीक्षण किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसे कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 46/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में जांच कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली